



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :-12.11.2024

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा कार चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को कार सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री एश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर 01 अभियुक्त को चोरी की कार सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आविद पुत्र इश्तकार निवासी ग्राम कुतलूपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 30 वर्ष

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपनी सफाई मा0 न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से देना बताया ।

घटना का सक्षिप्त विवरण – दिनांक 10.11.2024 को आवेदक की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 241/2024 धारा- 74 B.N.S बनाम कुन्दन पुत्र कप्तान सिंह निवासी सुमित्तापुर थाना कमालगंज पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री शिव कुमार के सुपुर्द हुयी। दौराने विवेचना बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 74 BNS का लोप किया गया एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर रजीपुर चौराहे से अभियुक्त कुन्दन उर्फ राजा बाबू पुत्र कप्तान सिंह निवासी सुमित्तापुर थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण अभियुक्त उपरोक्त – अभियुक्त कुन्दन उपरोक्त ने पूछने पर अपनी गलती की मॉफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त कुन्दन उर्फ राजा बाबू का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0- 241/2024 धारा- 3/4पाक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अनुराग मिश्र
2. उ0नि0 शिव कुमार
3. का0 अर्जुन सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 12.11.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद, एसओजी/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा नकली नोट बनाने वाले 04 अभियुक्तगण को 1,40,900 रुपयें के नकली नोट व नोट बनाने के उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस, एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर 04 नफर अभि0गण (1) सर्वेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी ग्राम बिलसड थाना राजा का रामपुर जनपद एटा (2) विपिन कुमार उर्फ जेपी पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम टिकुरा नगला थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ (3) यज्ञमित्र पुत्र स्व0 देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नदौरा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ (4) दीपक यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम नदौरा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ को कुल 1,40,900 रुपयें के नकली नोट व नकली नोट बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 240/2024 धारा 178/179/180/181 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

01. सर्वेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी ग्राम बिलसड थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।
02. विपिन कुमार उर्फ जेपी पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम टिकुरा नगला थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।
03. यज्ञमित्र पुत्र स्व० देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नदौरा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।
04. दीपक यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम नदौरा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण-

दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम जाजपुर गोवा जाने वाले अन्डरपास के पास से 02 नफर अभि०गण (1) सर्वेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी ग्राम बिलसड थाना राजा का रामपुर जनपद एटा (2) विपिन कुमार उर्फ जेपी पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम टिकुरा नगला थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद को पकड़ा गया तथा जिनसे पूछताछ के पश्चात अन्य 02 अभियुक्तगण (3) यज्ञमित्र पुत्र स्व० देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नदौरा थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद, (4) दीपक यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम नदौरा थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद को ग्राम नदौरा थाना मेरापुर से नकली नोट कुल 140900 रुपये व नकली नोट बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु०अ०सं० 240/2024 धारा 178/179/180/181 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

01. 500 के 180 नोट कुल 90,000 रुपये
02. 100 के 503 नोट कुल 50300 रुपये
03. 200 के 03 नोट कुल 600 रुपये = कुल 1,40,900 रु०
04. 01 अदद प्रिन्टर
05. 377 पेज सफेद कम्पनी जे०के० एक्सल बोन्ड सुपर व्हाइट बोन्ड पेपर
06. 05 अदद मोबाइल फोन
07. 01 अदद कटर व 01 बिजली बोर्ड व तार ।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तों ने पूछने पर एक स्वर में बताया कि हम लोग इस रंगीन प्रिन्टर से जाली नोट बनाकर असली के रूप में लोगों को कम कीमत में बेचते हैं। नोट बनाने का काम अपने घर पर रंगीन प्रिन्टर के माध्यम से अभि० यज्ञमित्र व दीपक यादव द्वारा किया जाता था तथा जाली नोटों को अभि० सर्वेश कुमार तथा विपिन कुमार के द्वारा मार्केट में व जानने वाले लोगों को सप्लाई किया जाता था। जाली नोट बनाना हम लोगों ने यूट्यूब से सीखा है।

अभियुक्त सर्वेश कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु०अ०सं० 240/2024 धारा 178/179/180/181 बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त विपिन कुमार उर्फ जेवी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु०अ०सं० 240/2024 धारा 178/179/180/181 बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

02.मु0अ0सं0 161/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना नयागांव जनपद एटा।

अभियुक्त यज्ञमित्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0 240/2024 धारा 178/179/180/181 बीएनएएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

02.मु0अ0सं0 149/2023 धारा 120(बी)/419/420/467/468/471/504/506 थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त दीपक यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0 240/2024 धारा 178/179/180/181 बीएनएएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

02.मु0अ0सं0 50/2016 धारा 120(बी)/272/420/467/468/471 भादवि0 को0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद शुक्ल
2. उ0नि0 सूर्यप्रकाश उपाध्याय
3. उ0नि0 आंशु कुमार
4. का0 अनीश कुमार
5. का0 संजीव कुमार
6. का0 हरिओम चाहर
7. का0 पवन उपाध्याय

गिरफ्तार/बरामद करने वाली एसओजी टीम:-

- 01.उ0नि0 सचिन चौधरी (प्रभारी SOG)
- 02.उ0नि0 राजेश राय (SOG)
- 03.उ0नि0 गजराज सिंह
- 04.हे0का0 बलवीर सिंह
- 05.का0 प्रिंस युवराज
- 06.का0 विकास कुमार
- 07.का0 विनोद कुमार
- 08.का0 दिव्यांशू

गिरफ्तार/बरामद करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम:-

- 01.उ0नि0 विशेष कुमार (प्रभारी सर्विलांस)
- 02.हे0का0 करन
- 03.हे0का0 सचिन्द्र कुमार
- 04.हे0का0 संदीप राव ।

मीडिया सेल फतेहगढ़

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :-12.11.2024

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 241/2024 धारा- 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कुन्दन उर्फ राजाबाबू को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 241/2024 धारा- 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त कुन्दन उर्फ राजा बाबू पुत्र कप्तान सिंह निवासी सुमित्तापुर थाना कमालगंज को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- कुन्दन उर्फ राजा बाबू उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र कप्तान सिंह निवासी सुमित्तापुर थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद

घटना का विवरण:- कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा मोहल्ला सलावत खा में वाहन चैकिंग की जा रही थी तभी एक कार आती हुई दिखाई दी कार को हाथ देकर रोका गया तथा ड्राइवर से पूछताछ कर जामा तलाशी ली गयी तो सेन्ट्रो कार सं०- UP 25 N 1071 पुरानी के ड्राइवर ने अपना नाम आविद पुत्र इशतकार निवासी ग्राम कुतलूपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर उम्र करीव 30 वर्ष बताया गाडी के कागजात मांगे गये तो दिखाने में कासिर रहा गाडी के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब मैं एक कबाडी हूँ । जो पुरानी गाडियो को खरीद कर काटकर उनका सामान बेचता हूँ आज से करीव 15-20 दिन पहले शालू श्रीवास्तव व रंजीत सिंह उर्फ भूरा से यह सेन्ट्रो कार सं०- UP 25 N 1071 पुरानी मैंने खरीदी थी। आज किसी काम से मैं फर्रुखावाद आया था । तो आप लोगो ने पकड लिया । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 216/24 अन्तर्गत धारा 303(3) बीएनएस का पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण:-

1. सेन्ट्रो कार सं० UP 25 N 1071 पुरानी

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम:-

- 1- 30नि० कीर्ति प्रकाश कनौजिया
- 2- का० विजय कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मोहम्मदाबाद

दि- 12.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि०गण 1. अनंगपाल पुत्र होरीलाल 2. रामदास पुत्र होरीलाल 3. हरिराम पुत्र होरीलाल समस्त नि०गण किलमापुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद । मु०अ०सं०- 199/1994 वाद स०- 310/2024 धारा- 452,325,323,504 भा०द०वि० थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि०गण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 12.11.2024 को मा० न्याया० सीजेएम कोर्ट फर्रु० द्वारा अभि०गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 02-02 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



पी०ओ० - श्री चन्द्रेश कुमार



कोर्ट मोहरीर हे०का० कुन्दन सिंह



पैरोकार का० सुमित कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि- 12.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामवीर पुत्र रामकुमार निवासी उम्मरपुर थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 166/2000 वाद स०- 90/2003 धारा- 307/34,504,506 भा०द०वि० थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि० के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 12.11.2024 को मा० न्याया० एडीजे -09 कोर्ट फर्रु० द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का साधारण कारावास व 3500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री अनुज प्रताप सिंह



पैरोकार का० कृष्णवीर सिंह